प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **136 एलआर एक्ट सं. 35/2019**

किशनलाल पुत्र हरीराम जाति मेघवाल आयु 45 वर्ष निवासी रामनगर तहसील छतरगढ।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) छतरगढ।

अप्रार्थी

उपस्थित :

1. श्री भागाराम नाई, अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकार राज छतरगढ।

निर्णय

दिनांक :—22.03.2021

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक पक्षकारान व पैरोकार राज उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से चक 6 आरजेडी के मु.नं. 176/24 का कि.नं. 1 ता 12, 19, 20 में 14.00 बीघा, मु.नं. 176/32 का कि.नं. 1 ता 6 में 6.00 बीघा कुल 20.00 बीघा खातेदारी भूमि है जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है। प्रार्थी का नाम किशनलाल पुत्र हरीराम जाति मेघवाल निवासी रामनगर तहसील छतरगढ जिला बीकानेर है एवम प्रार्थी के स्वामित्व एवम खातेदारी की भूमि में प्रार्थी का नाम सहवन से किशनलाल के स्थान पर किशनाराम लिखा गया था जो कि आज दिनांक तक किशनाराम ही चला आ रहा है। जिसे दुरूस्त करवानें हेतु उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्राप्त कर प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए, प्रार्थना पत्र का निर्णय किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Singh Meena
Date: 2021.07.26 12:19:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छत्तरगढ़ (बीकानेर)

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र मीमों के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के नाम से चक 6 आरजेडी के मु.नं. 176/24 का कि.नं. 1 ता 12, 19, 20 में 14.00 बीघा, मु.नं. 176/32 का कि.नं. 1 ता 6 में 6.00 बीघा कुल 20.00 बीघा खातेदारी भूमि है जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है। प्रार्थी का नाम किशनलाल पुत्र हरीराम जाति मेघवाल निवासी रामनगर तहसील छतरगढ जिला बीकानेर है एवम प्रार्थी के स्वामित्व एवम खातेदारी की भूमि में प्रार्थी का नाम सहवन से किशनलाल के स्थान पर किशनाराम लिखा गया है तथा प्रार्थी के समस्त दस्तावेजो में जैसे जमाबन्दी, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, आधारकार्ड में प्रार्थी का सहीं नाम किशनलाल ही दर्ज है। इसलिए राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर प्रार्थी का नाम किशनाराम की जगह किशनलाल दर्ज करनें का आदेश प्रदान करें।

उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का सही नाम किशनलाल जाति मेघवाल है एवं प्रार्थी के नाम से चक 6 आरजेडी के मु.नं. 176/24 का कि. नं. 1 ता 12, 19, 20 में 14.00 बीघा, मु.नं. 176/32 का कि.नं. 1 ता 6 में 6.00 बीघा कुल 20.00 बीघा खातेदारी भूमि है जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है। प्रार्थी का नाम किशनाराम के स्थान पर किशनलाल दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर प्रार्थी का नाम किशनाराम के स्थान पर किशनलाल दर्ज करनें का आदेश पारित किया जाता है शेष अंकन यथावत रहेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **22.03.202[illegible]** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Singh Meena
Date: 2021.07.26 12:19:52 IST
Reason: SelfAttested

(जीतूसिंह मीणा)
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
छतरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
छतरगढ़ (बीकानेर)